तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गंगा देवी व अन्य बनाम मंगला व अन्य राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2019 अन्र्तगत धारा 212 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में
24.08.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। जी0ए0 उपस्थित। आज जवाब हेतु समय चाहते है। आगामी दिनांक को पेश हो। प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि आदेश दिनांक 20.01.2020 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस दिनांक 21.01.2020 को जारी किये गये थे। जिसकी प्राप्ति रसीद/नोटिस न्यायालय मे नही लौटे है। जबकि सीपीसी मे वर्णित निर्धारित समयवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी पूर्ण मानते हुए प्रार्थना पत्र 212 पर सुना जावे। प्रार्थीयाँ अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आखरी व दांता तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 मे वर्णित खसरा संख्या वर्किंग खसरा संख्या 12 रकबा 01–17–00, जिसके आधार खसरा संख्या 39 रकबा 0.30, खसरा संख्या 13 रकबा 02–09–00 जिसके आधार खसरा संख्या 31 रकबा 0.40, खसरा संख्या 21 रकबा 00–13–00 जिसके आधार खसरा संख्या 49 रकबा 0.10 व खसरा संख्या 50 रकबा 0.01, वर्किंग खसरा नम्बर 274 रकबा 00–17–00 आधार खसरा नम्बर 379 रकबा 0.14, वर्किंग खसरा नम्बर 1300 रकबा 00–05–00, आधार खसरा नम्बर 564 रकबा 0.04 बने है। उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार स्व0 श्री हरजी उर्फ दुर्गासिंह व स्व0 श्योजी पुत्रान श्री राजू थे। जिनका विरासती नामान्तकरण संख्या 28 तस्दीक दिनांक 20.01.1983 अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी प्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से गैर कानूनी रूप से तस्दीक कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण स्व श्री हरजी उर्फ दुर्गासिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान होकर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी मे बराबर–बराबर हिस्सा था। उक्त विरासती नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे से साबिक आराजी खसरा संख्या 13 रकबा 02–09–00 बीघा हाल खसरा संख्या 31 रकबा 0.40 है0 अप्रार्थी संख्या 2 का गैर कानूनी रूप से सम्पूर्ण रकबा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पर विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नामान्तकरण संख्या 192 तस्दीक दिनांक 03.12.1996 के आधार पर अंकन किया गया। तदउपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 को अन्तरण कर दी जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 11.01.1999 अप्रार्थी संख्या 3 के नाम अंकन कर दी। उक्त गैर कानूनी इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी संख्या ने अप्रार्थी संख्या संख्या 2 को गैर कानूनी रूप से विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 2 के नाम इन्द्राज अंकित है। किन्तु उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 तरतीबी प्रतिवादीगण आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण द्वारा ज्वार की फसल काश्त कर रखी। उक्त आराजी को अप्रार्थी गलत इन्द्राज की आड मे भूमि को विक्रय करने पर सख्त आमादा हे। यदि इसमे व सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे निहित करता है। अतः ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी कर तलब किया गया था। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 का जारी उक्त नोटिस की तामील रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। जबकि सीपीसी के विविधक प्रावधानो के तहत नोटिस/रसीद प्राप्त नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 की तामील हो चुकी है जिन्हे भिन्न भिन्न समय मे तीन बार आवाजे दिलाई गई। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित नही आये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विरासती नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 20.01.1983 अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज किये जाने पर तदउपरान्त वादग्रस्त आराजी को अपने हिस्से से अधिक भूमि को अन्यत्र विक्रय करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे निहित करता है। पक्षकारान के हक अधिकार मूल वाद मे तय किये जाने है। अतःउभय पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा आराजी का बैचान नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.08.31 12:1
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner